ग्राम पंचायत करेरी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

<u>भाग-एक</u>

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत करेरी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमति सुषमा देवी	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुरेश कुमार	01-04-22 से 25-09-22
2.	श्री गोविन्द राम	26-09-22 से 31-03-24

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत करेरी के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	5.60
2.	05	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	16.13
3.	06	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.04
4.	07	पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में अधिक भुगतान	0.02
5.	08	विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.01
6.	09	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.02
7.	10	खनन सामग्री के आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान करना	3.20
8.	11	दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.04
9.	12	निविदा में अंकित दर की बजाय अधिक दर पर मदों का क्रय करने के कारण आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान करना	0.05
10.	13	निर्माण सामग्री की ढुलाई के रूप में आपूर्तिकर्ता को अधिक व अनियमित भुगतान करना	0.02

ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है।

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "01/04/2014 से 31/03/2017" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹ 5000/- की प्राप्ति की मुख्यालय मांग व संग्रहण रजिस्टर पेज-172 पर दर्ज प्रविष्टि से पुष्टि उपरान्त
2	पैरा 4.1 व 4.2	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6 से 6.3	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12 (क से ग)	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत करेरी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 29-08-2024 से दिनांक 05-09-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, करेरी में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	08/2022
2023-24	03/2024	05/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत करेरी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600/-** बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 335 दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत करेरी से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत करेरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत करेरी के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	118502.00	87909.00	206411.00	28624.00	177787.00
2023-24	177787.00	21867.00	199654.00	56918.00	142736.00

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत करेरी के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	2394018.32	6261091.00	8655109.32	5644218.04	3010891.28
2023-24	3010891.28	3054744.00	6065635.28	4452262.00	1613373.28

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General	KCCB RAIT	20040016457	142726.00
2.	MPLAD/LADA	KCCB RAIT	50055751008	780.00
3.	VKVNY	KCCB RAIT	50052407310	124109.00
4.	5TH FC	KCCB RAIT	50052407332	343367.00
5.	SDRF/SDP	KCCB RAIT	500557751019	182833.00
6.	15TH FC	IDBI DHARMSHALA	6104000049601	1383882.00
7.	IWMP(WDF)	PNB RAIT	709000100041659	85787.24
8.	IWMP(RF)	PNB RAIT	709000100055698	52996.04
9.	हस्तगत रोकड़			10.00
कुल योग				**2316490.28**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	2316490.28
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	1756109.28
अंतर	**560381.00**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹5.60 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि हेतु रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को **₹560381.00** की राशि का अन्तर पाया गया । पंचायत

द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 369(1) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत करेरी से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान कर लिया जायेगा व जिसे आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

अत: अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों व बैंक शेषों का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 निर्देशानुसार अलग – 2 स्कीमों के लिए अलग – 2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अलग – 2 स्कीमों के लिये अलग – 2 खाते खोले जाने अपेक्षित हैं |

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अंतर्गत MPLAD/LADA व SDRF/SDP स्कीमों के लिए हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध MPLAD/LADA स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, काँगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक रैत में खाता संख्या 50055751008 व SDRF/SDP स्कीमों के लिए भी एक ही बैंक खाता, काँगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक रैत में खाता संख्या 500557751019 के अंतर्गत खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवेहलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान /व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी |

अत: इस अनियमितता का वस्तुस्थिति अनुसार तथ्यपूर्ण कारण स्पष्ट करते हुए नियमानुसार तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अम्ल में लाई जाए।

5. अनुदान राशि ₹16.13 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधानऔरभत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹1613373.28 लाख उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 369(2) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत करेरी से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: शेष अनुदानों के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

6. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.04 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार

दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹3600 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022-23	274	50	15750	13700	29450	23900	5550
2023-24	273	50	5550	13650	19200	15600	3600

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी एवं मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं करने के फलस्वरूप लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता नहीं लगाया जा सका। गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि न केवल उपरोक्त नियमों की अवहेलना है अपितु यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढ़ती रही तो किसी समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 369(3) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8दिनांक

05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृह कर की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7. पंचायत सदस्यों को ₹1500 का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान करने बारे:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अर्न्तगत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पांचवे वित्त आयोग की रोकड़ बही के वाउचर संख्या 12 दिनांक 02.08.2022 के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों को मानदेय का भुगतान 01.04.2022 से 30.06.2022 की अवधि के लिए किया गया था परन्तु इस भुगतान किये गये मानदेय की अवधि के दौरान माह 06/2022 में दिनांक 09.06.2022 को केवल एक ही ग्राम पंचायत बैठक हुई थी जिसके फलस्वरूप पंचायत पदाधिकारियों को एक ग्राम पंचायत बैठक का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	वार्ड पंच का नाम	पंचायत बैठकों की अवधि	भुगतान की गयी राशि (₹)	पंचायत बैठकों की कुल संख्या	वास्तविक भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.	श्रीमति मीना देवी	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300
2.	श्रीमति सूरेखा देवी	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300

3.	श्रीमति मंजू देवी	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300
4.	श्री शिव दत्त	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300
5.	श्री कुलदीप चंद	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300
कुल योग						**1500/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 369(6) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इसकी वसूली कर ली जायेगी और आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा |

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान को या तो पूर्णतया न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरांत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोबारा न दोहराई जाये |

8. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹800 की प्राप्ति न करने बारे :-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई. आर. डी. पी./बी.पीएल. श्रेणी के लिए ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य श्रेणी)से व ₹50 आई. आर. डी. पी./बी.पीएल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/22 से 03/24 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का विवाह पंजीकरण किया गया था | परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार से है :-

क्रम संख्या	विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार क्रम संख्या/पृष्ठ संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	प्राप्ति योग्य राशि (₹)
1	79/110	दीपिका D/O श्री रमेश चंद	21.04.2022	11.05.2022	200
2	79/111	अर्जुन सिंह S/O तुलसी दास	11.06.2022	22.07.2022	400
3	79/112	अर्जुन सिंह S/O दालती राम	06.07.2022	02.08.2022	200
कुल योग					**800/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 369(4) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति करके आगामी अंकेक्षण में सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति उचित स्त्रोत से करके प्राप्त की गई राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह

पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाना अपेक्षित है :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	1200
2	2023-24	1200
कुल योग		**2400**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 369(5) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को जल्द ही सरकारी कोष में जमा करवा दिया जायेगा ।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिए गये आश्वाशन के दृष्टिगत उपरोक्त नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस मामले को सम्बन्धित विभागीय जिलाधिकारी से पत्राचार/सम्पर्क कर तदानुसार व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये |

10. खनन सामग्री के आपूर्ति से समन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹3.20 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा

जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार सविंदाकारों/विक्रेताओं (Contractor/Vendor) से माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" जमा करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -3** पर सलंग्न विवरण के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को चुनिंदा मासों के दौरान ₹**320120/-** का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370(1) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों/निर्देशों की जानकारी के आभाव के कारण फॉर्म "X या W" नहीं लिए गए अत: भविष्य में खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित फॉर्म "X या W" प्राप्त करके ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा उतर नियमों/निर्देशों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" की प्राप्ति उपरांत ही किये जाने थे |

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

11. दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करने के कारण ₹0.~~05~~ 04 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करने बारे :-

निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी. सी. एच .(1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धन राशि की वसूली सहित निलबंन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत बैठक व मनरेगा मस्ट्रोल में एक ही दिन दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त पत्र के दिशा-निर्देशों की स्पष्ट उलंघना है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल/ पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1	सुरेखा देवी	..... 7448...... 19.03.2023 से 31.03.2023	C/O path from Parkash to Shubhash House ward no. 3	25.03.2023	500	212
2	कुलदीप चंद	..... 1291...... 01.05.2023 से 15.05.2023	C/O crate work in Liyund Khadd	11.05.2023	500	224

3	कुलदीप चंद	..... 3595...... 16.08.2023 से 31.08.2023	Land conservation in Bhuri singh land s/o Bhami	23.08.2023	500	224
4	शिव दत्त	..... 4919...... 01.10.2023 से 15.10.2023	Land protection wall in Bhagi Ram s/o Chuni lal land	10.10.2023	500	224
5	सुरेखा देवी	..... 6185...... 16.12.2023 से 31.12.2023	Path fromParkash house to Shubash house ward no.3	23.12.2023	500	224
6	मीना देवी	..... 6949...... 16.01.2024 से 30.01.2024	C/O Path fromParkash house to Shubash house ward no.3	29.01.2024	500	240
7	मीना देवी	..... 8284...... 01.03.2024 से 15.03.2024	C/O Pacca path from Vishan house Kathogra	06.03.2024	500	240
8	मंजू देवी	..... 8291...... 01.03.2024 से 15.03.2024	C/O Pacca path from Ranked village to Bethak	06.03.2024	500	240

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370(4) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8 दिनांक 05.09.2024

द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अनियमित भुगतान की वसूली कर ली जाएगी और आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त पत्र के निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाये व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. निविदा में अंकित दर की अपेक्षा अधिक दर पर मदों का क्रय करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:-

15TH FC की रोकड़ बही के वाउचर संख्या P1 ,P3 दिनांक 26.08.2022 के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित मदों के क्रय हेतु मै. हिमाचल ट्रेडर को भुगतान किया गया था परन्तु मदों की क्रय दर की पुष्टि हेतु वर्ष 2022-23 की निविदाओं की तुलना करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मदों का क्रय निविदा में अंकित दर के बजाय अधिक दर पर किया गया था जिसके फलस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹5260 का अधिक भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	शीर्ष	वाउचर संख्या/दिनांक	मद का विवरण	कुल	अदायगी दर (₹)	अदायगी की गई राशि (A) (₹)	निविदा में अंकित दर (₹)	निविदा की दर के अनुसार भुगतान योग्य राशि(B) (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.	15TH FC	P/1 दिनांक 26.082022	Marry go round	1	38500	38500	36500	36500	2000
			Sea saw double	1	18500	18500	16500	16500	2000
	कुल योग (A)								**4000/-**
2.	15TH FC	P/3 दिनांक 26.082022	Dustbin iron Net Jali with Angle per Set 160x2 ltr size	14	9890	138460	9800	137200	1260
	कुल योग (B)								**1260**
	कुल योग (A+B)								**5260**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370(6) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इसकी वसूली कर ली जायेगी और आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा|

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान को या तो पूर्णतया न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरांत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाये|

13. निर्माण सामग्री की ढुलाई के रूप में आपूर्तिकर्ता को ₹1860 अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे:-

निर्माण निकासी नाली रांझा राम घर से मुन्सी राम के घर की ओर वार्ड न०2 के अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका में उक्त निर्माण कार्य के लिए क्रय सामग्री (रेत बजरी) की ढुलाई रोड़ से निर्माण स्थल तक लेबर(labour) के द्वारा की गई दर्शाई गई थी इसके अतिरिक्त बिल संख्या 971 दिनांक 20.03.2023 के अवलोकन में पाया गया कि उक्त कार्य के लिए 93CFT की सामग्री की ढुलाई घोड़ों के द्वारा रोड से निर्माण स्थल तक की गई दर्शाई गई थी जो की अनुचित/अनियमित है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	क्रय सामग्री का नाम	क्रय सामग्री की मात्रा	माप पुस्तिका के अनुसार लेबर(labour) के द्वारा क्रय सामग्री की ढुलाई की मात्रा	बिल के अनुसार घोड़ों के द्वारा सामग्री की ढुलाई की मात्रा	दर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	रेत व बजरी	320 Sand 500 Agg. = 820 CFT **(23.22 cubm)**	23.22 cubm	93CFT	20	1860

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370(5) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इसकी वसूली कर ली जायेगी और आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा |

अत: उक्त कार्य हेतु क्रय निर्माण सामग्री की ढुलाई के रूप में किये गए अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)
1.	2022-23	08/22	1075388.00
2.	2023-24	05/23	864551.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370(2) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

15. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 08/22 व 05/23 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 08/22 व 05/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370(3) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में अपूर्णता के चलते क्रॉस मॉनिटरिंग के अभाव

में किसी भी स्तर पर धन, एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है :-

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
2	वर्गीकृत सार रजिस्टर	8	29(4)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
4	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
5	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0 प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370(7) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370(8) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु

अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या G.P. KARERI NO.59-8 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए गये आश्वाशन के दृष्टिगत उपरोक्त नियम की औपचारिक्ताओं को पूरा किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18. **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

19. **निष्कर्ष**:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

29 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

5785 – 5789

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)172/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत करेरी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

29 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT KARERI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176216

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	118502	87909.00	206411	28624.00	177787.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 118502.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT KARERI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176216

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	177787.00	21867.00	199654	56918.00	142736

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 177787.00

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHAYAT KARERI
DEV. BLOCK RAIT KANGRA H.P

Test Checked

22

परिशिष्ट-1 पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP KARERI BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	150187.24	593.00	150780.24	150780.24	0.00
2	MGNREGA	0	2978518.00	2978518.00	2978518.00	0.00
3	VKVNY	143422.00	3723.00	147145.00	26700.00	120445.00
4	5TH FC	332896.00	377618.00	710514.00	374280	336234.00
5	NRHM	9551.00	287.00	9838.00	9838.00	0.00
6	MPLAD	99188.00	526298.00	625486.00	316279.00	309207.00
7	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDRF/SDP	126417.00	1163615.00	1290032.00	748501	541531.00
9	SK RELIEF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	GRDY	3489.00	105.00	3594.00	3594.00	0.00
11	TSC	28329.00	849.00	29178.00	29178.00	0.00
12	SDP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	IWMP	129710.08	5450.00	135160.08	70.80	135089.28
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1370829	1204035.00	2574864.00	1006479.00	1568385.00
	TOTAL	**2394018.32**	**6261091.00**	**8655109.32**	**5644218.04**	**3010891.28**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP KARERI BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0.00	1792408.00	1792408.00	1792408.00	0.00
3	VKVNY	120445.00	3664.00	124109.00	0.00	124109.00
4	5TH FC	336234.00	429249	765483.00	422116	343367.00
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	309207.00	346390	655597.00	654817	780.00
7	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDRF/SDP	541531.00	134182	675713.00	492880	182833.00
9	SK RELIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	GRDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	SDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	IWMP	135089.28	3694.00	138783.28	0.00	138783.28
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1568385.00	345157.00	1913542.00	1090041.00	823501.00
	TOTAL	**3010891.28**	**3054744.00**	**6065635.28**	**4452262.00**	**1613373.28**

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 3010891.28

PRADHAN SECY.
GRAM PANCHAYAT KARERI
DEV. BLOCK RAIT KANGRA H.P

Total checked

BANK DETAIL OF GP KARERI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB RAIT	20040016457	118502.00
2	MPLAD/LADA	KCCB RAIT	50055751008	99188.00
3	VKVNY	KCCB RAIT	50052407310	143422.00
4	5TH FC	KCCB RAIT	50052407332	355296.00
5	SDRF/SDP	KCCB RAIT	500557751019	126417.00
6	NRHM	KCCB RAIT	50052407285	9551.00
7	GRDY	KCCB RAIT	50055750990	3489.00
8	TSC	KCCB RAIT	50055751042	28329.00
9	14TH FC	KCCB RAIT	50052407321	7524.24
10	14TH FC	IDBI DHARMSHALA	6104000046987	142663.00
11	15TH FC	IDBI DHARMSHALA	6104000049601	1986825.00
12	IWMP(WDF)	PNB RAIT	709000100041659	81317.64
13	IWMP(RF)	PNB RAIT	709000100055698	48392.44
		CASH IN HAND		0.00
		TOTAL		3150916.32

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB RAIT	20040016457	177787.00
2	MPLAD/LADA	KCCB RAIT	50055751008	309207.00
3	VKVNY	KCCB RAIT	50052407310	120445.00
4	5TH FC	KCCB RAIT	50052407332	336234.00
5	SDRF/SDP	KCCB RAIT	500557751019	541531.00
6	NRHM	KCCB RAIT	50052407285	0.00
7	GRDY	KCCB RAIT	50055750990	0.00
	TSC	KCCB RAIT	50055751042	0.00
	14TH FC	KCCB RAIT	50052407321	0.00
	14TH FC	IDBI DHARMSHALA	6104000046987	0.00
	15TH FC	IDBI DHARMSHALA	6104000049601	2143414.00
	IWMP(WDF)	PNB RAIT	709000100041659	83503.24
	IWMP(RF)	PNB RAIT	709000100055698	51586.04
		CASH IN HAND		43.00
		TOTAL		3763750.28

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHAYAT KARERI
DEV. BLOCK RAIT KANGRA H.P

Total checked

	BANK DETAIL OF GP KARERI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA			
	CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24			
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB RAIT	20040016457	142726.00
2	MPLAD/LADA	KCCB RAIT	50055751008	780.00
3	VKVNY	KCCB RAIT	50052407310	124109.00
4	5TH FC	KCCB RAIT	50052407332	343367.00
5	SDRF/SDP	KCCB RAIT	500557751019	182833.00
6	NRHM	KCCB RAIT	50052407285	0.00
	GRDY	KCCB RAIT	50055750990	0.00
	TSC	KCCB RAIT	50055751042	0.00
	14TH FC	KCCB RAIT	50052407321	0.00
	14TH FC	IDBI DHARMSHALA	6104000046987	0.00
7	15TH FC	IDBI DHARMSHALA	6104000049601	1383882.00
	IWMP(WDF)	PNB RAIT	709000100041659	85787.24
	IWMP(RF)	PNB RAIT	709000100055698	52996.04
CASH IN HAND				10.00
TOTAL				2316490.28

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT KARERI
DEV. BLOCK RAIT KANGRA H.P

Total checked

25

परिशिष्ट 'ख' पैरा-6 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KARERI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	274	50	15750	13700	29450	23900	5550

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT KARERI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	273	50	5550	13650	19200	15600	3600

PRADHAN SECY.
GRAM PANCHAYAT KARERI
DEV. BLOCK RAIT KANGRA H.P

Total checked
J.A

26

परिशिष्ट-3 (पैरा 10 के संदर्भ में)

चयनित मासों के दौरान खनन सामग्री की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को गए भुगतान का विवरण :-

क्रम संख्या	शीर्षक	वाउचर संख्या /दिनांक	बिल संख्या /दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री का विवरण			बिल राशी	निर्माण कार्य का नाम
					रेत (CFT)	बजरी (CFT)	पत्थर		
1	Deposit Work	12 02/08/2022	550 24/07/2022	Kartar Singh Govt Cont.	220	100	1000	30000	नि० शौचालय आयुर्वैदिक डिस्पेंसरी बल्ह
2	SDP	14 02/08/2022	538 24/07/2022	---do--	---	---	1260	25200	नि० सामुदायिक भवन करेरी वार्ड 2
3	SDRF	15 02/08/2022	537 24/07/2022	---do--	-----	65	----	2145	नि० सुरक्षा दिवार लीला देवी पत्नी महाजन घर
4	SDP	16 02/08/2022	536 24/07/2022	---do--	300	300	------	33000	नि० सामुदायिक भवन करेरी वार्ड 2
5	MMAGY	21 26/08/2022	574 20/08/2022	---do--	300	300	700	40500	नि० सामुदायिक भवन गाँव खड़ीबही
6	LADA	13 25/05/2023	962 06/03/2023	---do--	200	200	-----	21400	नि० Interlock रास्ता कांशी राम घर से मुंशी राम
7	VKVNY	16 25/05/2023	983 02/05/2023	---do--	---	----	800	16000	नि० सामुदायिक भवन करेरी वार्ड 2
8	VKVNY	16 25/05/2023	986 03/05/2023	---do--	200	300	----	29400	नि० सामुदायिक भवन करेरी वार्ड 2
9	15thfc	02 14/05/2023	958 20/12/2022	---do--	50	70	-----	6410	नि० बाबड़ी वार्ड न० 2
10	15th FC	03 14/05/2023	959 20/12/2022	---do--	170	315	----	25875	नि० निकास नाली शिव दत्त की जमीन में
11	15th fcc	04 14/05/2023	969 20/03/2023	---do--	250	450	------	38410	C/o Path Chonda

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT KARERI
DEV. BLOCK RAIT KANGRA H.P

27

									Temple to Desh Raj
12	15th FC	07 14/05/2023	970 20/03/2023	---do--	320	500	-------	43780	नि० नि० नाली राँझा राम घर से मुंशी राम घर की और वार्ड 1
13	15th Fc	09 16/05/2023	792 16/05/2023	---do--	50	100	------	8000	नि० निकास नाली लियुन्द खड्ड से जम्ब्ली वार्ड 4
					2060	2700	3360	~~32120~~ 320120	

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT KARERI
DEV. BLOCK RAIT KANGRA H.P